राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(फोन : 0141-2227481,2227555, फैक्स : 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईन : 15100)
ई–मेलः–rj-slsa@nic.in, वेब साईटः–www.rlsa.gov.in

विज्ञप्ति

क्रमांकःएफ–2(45) / रालसा / डी.एस.–प्रथम / पी.एल.ए. / 2016 / 1546 दिनांकः11.04.2017

1. राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1)विधि–2 / 2002 / 447, जयपुर दिनांक 23.02.2017 द्वारा राजस्थान राज्य के सात जिला मुख्यालयों (अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, गंगानगर, पाली, सीकर एवं जयपुर जिला) पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ख में स्थापित स्थायी लोक अदालत के लिए नव सृजित पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति हेतु जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे न्यायिक अधिकारीगण से आवेदन आमत्रित किए जाते हैं जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते होंः–

    क. सेवानिवृत जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत हुए हों।

    ख. जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 31.12.2017 तक सेवानिवृत होने वाले हैं।

2. उक्त नियुक्ति प्रारम्भ में 1 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवायें सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारम्भिक नियुक्ति के 1 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 5 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।

3. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष को फीस व अन्य सुविधायें Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 के अनुरूप देय होंगी।

4. पत्रता रखने वाले न्यायिक अधिकारी निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं या प्राधिकरण की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 10.05.2017 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (दोपहर 1:00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. सेवारत न्यायिक अधिकारीगण अपना आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत करें। वे आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन समय रहते माननीय राजस्थान उच्च न्यायचलय को प्रेषित करे।

(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकःएफ–2(45)/रालसा/डी.एस.–प्रथम/पी.एल.ए./2016/1547–1625, दिनांकः11.04.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
4. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
6. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्ट्रेट एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
7. उप सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर एवं जोधपुर।
9. उप सचिव द्वितीय एवं उप सचिव (एक्शन प्लान एवं ए0डी0आर0), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, रालसा को भेजकर लेख है कि इस विज्ञप्ति मय आवदेन पत्र प्रारूप को राल्सा की वेबसाईट पर अपलोड करवाये।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
12. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

11-4-2017
(निहाल चन्द)
उप सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(फोन : 0141-2227481,2227555, फैक्स : 2227602, टोल फ्री हेल्पलाईन : 15100)
ईमेलः—rj-slsa@nic.in वेब साईटः—www.rlsa.gov.in

अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, गंगानगर, पाली, सीकर एवं जयपुर जिला की स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष पद हेतु आवेदन

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्व—हस्ताक्षरित फोटो चिपकाये।

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में ....
   अंग्रेजी में ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि (शब्दो व अंकों में) ....
   ....
4. गृह जिला ....
5. स्थायी पता ....
   (टेलीफोन/फैक्स ....
   नम्बर सहित) ....
6. वर्तमान पता ....
   (टेलीफोन/फैक्स ....
   नम्बर सहित) ....
7. मोबाईल नम्बर ....
8. ई—मेल एड्रेस ....
9. कार्यालय का पता ....
   (सेवारत आवेदकों के लिए) ....
10. शैक्षणिक योग्यतायें (सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):—

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

11. न्यायिक सेवा में प्रवेश की तारीख ....

12. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए) ....

13. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए) ....

14. सेवानिवृत्ति की दिनांक ....

(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

15. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अंतिम आहरित) ....

16. गत 10 वर्षों का/सेवा के अंतिम 10 वर्षों का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव

क्रम सं.	न्यायालय या धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	संपादित कार्य की प्रकृति
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

17. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण–

18. वकालत का अनुभव– न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व ....वर्ष
सेवानिवृत्ति के पश्चात् ....वर्ष

19. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण ....
(सेवानिवृत्त आवेदकों के लिए)

20. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं ? हाँ/नहीं

21. क्या आवेदक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है? हाँ/नहीं

22. यदि आवदेक के विरूद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारंभिक जांच की गई हो या लंबित हो या दण्डित किया गया हों तो उसका विवरण दें।

23. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पत्नी .... घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सहीं व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया हे।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान ....

नोटः– आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की स्व–सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते है।